

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश शासन  
सतपुड़ा भवन भोपाल-462004

क्रमांक- 2287/187/आउटसोर्स/बजट/18  
प्रति

भोपाल, दिनांक 12/11/2018

प्राचार्य,  
शासकीय महाविद्यालय,  
(नीचे दर्शाये अनुसार)  
मध्यप्रदेश।

विषय:-मजदूरी,संविदा-आउटसोर्स एवं आकस्मिकता निधि मद अंतर्गत बजट आवंटन- वित्तीय वर्ष 2018-19

विषयान्तर्गत निम्नलिखित शासकीय महाविद्यालयों को मजदूरी, संविदा-आउटसोर्स, आकस्मिकता निधि अन्तर्गत स्वीकृत पदों पर कार्यरत कर्मचारियों के पारिश्रमिक भुगतान हेतु उनके नाम के समक्ष अंकित अनुसार राशि का बजट आवंटन स्वीकृत किया जाता है :

क्र.	महाविद्यालय का नाम	पत्र क्रमांक एवं दिनांक	बजट शीर्ष 44-2202-03-103-0101- 0798-	आवंटित राशि
1	शा.महावि.हरसूद जिला खण्डवा	780 / 24.10.18	0798-19-001-वेतन	250000
2	शा.कला एवं विज्ञान महाविद्यालय रतलाम	360 / 27.10.18	0798-19-001-वेतन 0798-19-006-गृ.भाड़ा भत्ता	93720 200
3	शा.महावि.बाजना जिला रतलाम	अग्रणी 359 / 26.10.18	0798-11-025 संविदा.आउटसोर्स कर्म.का पारिश्रमिक	74500
4	शा.महावि.बलवाड़ी जिला बड़वानी	64 / 12.09.18	0798-11-025 संविदा.आउटसोर्स कर्म.का पारिश्रमिक	300000
5	शा.महावि.नागौद जिला सतना	1033 / 23.10.18	0798-11-025 संविदा.आउटसोर्स कर्म.का पारिश्रमिक	300000
6	शा.कन्या महावि. सीहोर	1232 / 27.10.18	0798-11-025 संविदा.आउटसोर्स कर्म.का पारिश्रमिक 0798-12-000 मजदूरी	240000 26483
5	शा.महावि. पुष्पराजगढ़ जिला अनूपपुर	313 / 1.11.18	0798-11-025 संविदा.आउटसोर्स कर्म.का पारिश्रमिक	300000
6	शा.महावि.सरई जिला सिंगरौली	51 / 31.10.18	0798-11-025 संविदा.आउटसोर्स कर्म.का पारिश्रमिक	250000
7	शा.महावि.माडा जिला सिंगरौली	25 / 1.11.18	0798-11-025 संविदा.आउटसोर्स कर्म.का पारिश्रमिक	125000
7	शा.महावि.चंदला जिला छतरपुर	1393 / 11.10.18	0798-11-025 संविदा.आउटसोर्स कर्म.का पारिश्रमिक	200000
	कुल योग			2159903

2. आवंटित राशि का व्यय उपरोक्त उल्लेखित बजट शीर्ष अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट से विकलनीय होगा।
3. संबंधित मद से, राशि आहरण के पूर्व तथा कर्मचारियों का वेतन भुगतान करने से पूर्व अनिवार्य रूप से यह सुनिश्चित कर लें कि संबंधित कर्मचारी शासन द्वारा जो पद स्वीकृत है, उसी के अनुसार तथा नियमानुसार कार्यरत हों।
4. आहरण करते समय मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग एवं इस कार्यालय द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें।
5. जिन शासकीय महाविद्यालय को डी.डी.ओ.कोड आंबटित नहीं है, उनकी राशि संबंधित शासकीय अग्रणी महाविद्यालय के डी.डी.ओ.कोड में अपलोड की गई है। अतः संबंधित अग्रणी महावि. के प्राचार्य से संपर्क कर नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।
7. आंबटित राशि से अधिक राशि का व्यय नहीं किया जावे।
8. किसी भी प्रकार के अनियमित व्यय/भुगतान की जिम्मेदारी संबंधित प्राचार्य की होगी।
9. आंबटित राशि के पूर्ण आहरण/भुगतान उपरान्त ही निम्नलिखित प्रारूप में स्पष्ट गणना के साथ मांग प्राप्त होने पर अतिरिक्त आवंटन पर विचार किया जावेगा :-

पद स्वीकृति का आदेश क्रमांक एवं दिनांक	स्वीकृत पद का प्रकार एवं पदनाम (आकस्मिकता निधि/कलेक्टर दर/संविदा आउटसोर्स)	स्वीकृत पदनाम एवं पद संख्या	कार्यरत कर्मचारियों की संख्या	मासिक दर	वर्ष 2018-19 हेतु कुल आवश्यकता (अप्रैल 18 से मार्च 19 तक)	प्राप्त आवंटन 2018-19	व्यय राशि दिनांक ....	शेष राशि की आवश्यकता	रिमांक
1	2	3		4	5	6	7	8	9

- स्वीकृत पद का प्रकार एवं नाम के संबंध में पद स्वीकृति आदेश में जो पद स्वीकृत है वह किस प्रकार है, आकस्मिकता निधि का, कलेक्टर दर अथवा संविदा/आउटसोर्स का पद है, स्पष्ट उल्लेख करें, तथा जो पदनाम स्वीकृत है, उल्लेख करें। यदि पद संविदा/आउटसोर्स का स्वीकृत है तो 0798-11-025 संविदा कर्मचारियों का पारिश्रमिक पद अन्तर्गत मांग की जावे। यदि पद कलेक्टर दर का स्वीकृत है तो 0798-12-000 मंजदूरी मद अन्तर्गत मांग की जावे। यदि आकस्मिकता निधि अन्तर्गत स्वीकृत है तो आब्जेक्ट 19- आकस्मिकता निधि मद अन्तर्गत मांग की जावे।

10. उपरोक्तानुसार निर्धारित प्रारूप में जानकारी के साथ प्राचार्य के हस्ताक्षर उपरान्त जावक क्रमांक एवं दिनांक के साथ पत्र को स्कैन कर पी.डी.एफ. फाईल के साथ बजट शाखा के ई-मेल [budgethedu@mp.gov.in](mailto:budgethedu@mp.gov.in) पर ई-मेल करें। अपूर्ण एवं अस्पष्ट मांग पत्र पर विचार नहीं किया जावेगा।

"आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित"

अपर संचालक (वित्त)  
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

MS

पृ०क०- 2288/187/आउशि/बजट/18  
प्रतिलिपि-

भोपाल, दिनांक 12/11/2018

1. विशेष सहायक मान.मंत्रीजी/राज्यमंत्रीजी मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग,मंत्रालय
  2. महालेखाकार,लेखा एवं हकदारी मध्यप्रदेश ग्वालियर
  3. संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।
  4. संबंधित प्राचार्य, शासकीय अग्रणी महाविद्यालय मध्यप्रदेश।
  5. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, अराज. स्थापना शाखा-3 कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा भोपाल
  6. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, योजना शाखा कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा भोपाल
  7. संबंधित कोषालय /उपकोषालय अधिकारी मध्यप्रदेश।
- .....की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अपर संचालक (विद्युत)  
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

12/11/18